न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर टोडाभीम जिला करौली

मु0न0 67/2018

दिनांकः– 15.10.2018

पीठासीन अधिकारीः– पूजा मीना आर.ए.एस

उनवान

1. रमेश पुत्र धनीराम जाति बैरवा
2. महेन्द्र पुत्र धनीराम जाति बैरवा
3. किशनी बेवा धनीराम जाति बैरवा

   निवासी खिरखिडी तहसील टोडाभीम जिला करौली।

(सायल)

बनाम

1. राधेश्याम पुत्र घूडया जाति जांगिड निवासी खिरखिडी तहसील टोडाभीम जिला करौली।
2. राजकीय उच्च प्राथमिक विधालय खिरखिडी जरिये प्रधानाध्यापक
3. तहसीलदार टोडाभीम।

(गैरसायलान)

प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा

उपस्थितिः– श्री सुनील कुमार जिन्दल एडवोकेट सायलान

श्री हंसराम गूर्जर एडवोकेट गैरसायलान न0 1

निर्णय

दिनांक 28.05.2025

सायल द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का संक्षेप मे विवरण इस प्रकार है कि ग्राम खिरखिडी की साबिक आराजी ख0न0 166/1/20 रकवा 4 बीधा सायलान की कब्जे खातेदारी की आराजी है जिसे साबिक नक्शा ट्रेस मे दर्शाया गया है। उक्त साबिक ख0न0 166/1/20 रकवा 4 बीधा नक्शा ट्रेस मे जिस स्थान पर दर्शाया है उस स्थान पर सेटलमेन्ट मे नवीन ख0न0 516/1137/0.43, 531/1337/0.31 है0 दर्ज किया लेकिन सायलान की खातेदारी हाल जमाबन्दी मे 516/1137, 551/1337 दर्ज कर दी लेकिन उक्त दोनो नम्बरो को साबिक ख0न0 204 मिन व 204/1 मिन से गलत दर्शाया गया। जबकि दोनो ख0न0 साबिक ख0न0 166/1/20 से दर्शाना चाहिये तथा जमाबन्दी मे ख0न0 551/1337 के स्थान पर 531/1337 दर्शारना चाहिये तथा मिलान क्षेत्रफ लमे भी उक्त दोनो ख0न0 531/1337, 516/1137 को साबिक ख0न0 166/1/20 से दर्शाना चाहिये और सेटलमेन्ट द्वारा सायलान की 26 हे0 जमीन को कम कर सायलान के नाम 4 बीधा के स्थान पर मात्र 0.74 हे0 जमीन की खातेदारी दर्ज कर रखी है।

यह है कि दौराने सेटलमेन्ट सायलान की साबिक ख0न0 166/1/20 की कब्जे काश्त की आराजी मे से गैरसायलान न0 1 के नाम ख0न0 531 रकवा 0.15 है0 तथा गैरसायलान न0 2 के नाम ख0न0 531/1214 रकवा 0.09 है0 जो गै0मु0स्कूल गलत रूप से दर्ज कर नवीन सीट मे उक्त दोनो नम्बरो की गलत तरमीम कर दी। जबकि उक्त दोनो नम्बर सायलान के कब्जे की भूमि है तथा साबिक सीट के मुताबिक भी साबिक ख0न0 166/1/20 रकवा 4 बीधा का भाग है तथा उक्त दोनो नम्बरो को मिलाने पर भी सायलान की करीब 0.02 हे0 भूमि रिकार्ड मे कम पडती है इसलिये सायलान ख0न0 531 रकवा 0.15 है0 तथा 531/1214/0.09 है0 की खातेदारी गैरसायलान न0 1 व 2 से हजफ कर अपने नाम खातेदारी कराने के हकदार है।

सायलान के पिता धनीराम का [illegible] हो चुका [illegible] जायज कायम मुकाम वारिसान सायला है। जो मृतक धनीराम के तर्के पर काबिज [illegible] साय[illegible] का वर्णित आराजीयात ख0न0 516/1137/0.43, 551/1337, 531/1214, 531 पर आज [illegible] पर कब्जा काश्त चला आ रहा है और उक्त चारो नम्बरो से ही सायला[illegible] जो साबिक सीट व नवीन सीट को मिलाने से भली भांति साबित है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2025.09.25 16:36:11 IST
Reason: SelfAttested

बांका दिनांक 20.09.2018 को सायलान ने अपने कब्जे काश्त व खातेदारी की भूमि की के.सी.सी. बनवाने के लिए जमाबन्दी निकलवाई तो सायलान को पता चला कि सायलान के नाम

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
टोडाभीम, जिला-करौली

0.26 है0 भूमि कम है जिस पर सायलान ने मिलान क्षेत्रफल व नवीन नक्शा सीट निकलवायी। तब मालुम चला दिनांक 25.09.2016 को गैरसायल न0 3 तहसीलदार टोडाभीम से सेटलमेन्ट द्वारा की गई गलती का लैण्ड रिकार्ड मे दुरूस्त करने व ख0न0 531, 531/1214 की खातेदारी गैरसायलान न0 1 व 2 के नाम से हजफ कर सायलान के नाम खातेदार दर्ज करने का निवेदन किया तो तहसीलदारजी ने सक्षम न्यायालय मे जाकर इन्द्राज दुरूस्ती व घोषणा खातेदारी का दावा पेश करने की सलाह दी गई जिस पर सायलान द्वारा यह दावा पेश करना आवश्यक हुआ है।

सायल का प्राईमाफेसी केस बखूबी साबित है तथा सुविधा का संतुलन एंव अपूर्तनीय क्षति का सिद्वान्त भी सायल के पक्ष मे है अस्थाई निषेधाज्ञा जारी होने से गैरसायलान को कोई क्षति किसी प्रकार की नही है, जबकि अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नही होने से सायल को अपूर्तनीय क्षति हो जावेगी जिसकी पूर्ति किसी प्रकार से संभव नही हो सकेगी।

अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर गैरसायलान को ता दावा फैसला इस अम्र से पाबन्द फरमाया जावे कि वे वर्णित ग्राम खिरखिडी की आराजी ख0न0 531/0.15, 531/1214/0.09, 516/1137/0.43, 531/1337/0.31 है0 मे सायलान के कब्जे काश्त मे किसी प्रकार की मजाहमत मदाखलत नही करे रिकार्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर गैरसयलान को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी न0 3 तहसीलदार टोडाभीम उपस्थित, गैरसायल न0 2 बावजूद सूचना अनुपस्थित न्यायालय रहने से इनके विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही की गई, गैरसायल न0 1 ने जरिये वकालत काउन्टर क्लेम जबाब इस प्रकार पेश किया कि साबिक ख0न0 166 मे रकवा 0.04 है0 धनीराम पुत्र रामहेत जाति बैरवा को सन 1976 मे अलाटमेन्ट हुआ था तथा 166 के बटा नम्बर 166/1/20 रकवा 4 बीधा तरमीम किया गया था, लेकिन धनीराम ने राजस्व अधिकारी कर्मचारी व पटवारी हल्का व गिरदावर से साज करके गत ख0न0 204 मे भूमि को बताकर गत ख0न0 204 मे तरमीम करवा दी गई है जबकि गत ख0न0 204 से उक्त धनीराम का कोई संबध किसी प्रकार का नही है व गत नक्शा ट्रेस मे धनीराम के नाम ख0न0 204 मते गलत तरमीम कर दी गई है। तथा हाल ख0न0 516/1137/0.43, 551/1337/0.31 है0 भी गलत दर्ज की है इस भूमि से सायलान का कोई संबध किसी प्रकार का नही है गैरसायल राधेश्याम को गत ख0न0 204 मे रकवा 5 बीधा 10 बिस्वा दिनांक 24.08.1976 को अलॉटमेन्ट हुई थी, लेकिन गैरसायल राधेश्याम को गत ख0न0 204 का बटा नम्बर डाल कर सिर्फ 3 बीधा भूमि मे खातेदारी दी है। शेष 2 बीधा 10 बिस्वा की खातेदारी नही दी है। जबकि 5 बीधा 10 बिस्वा की खातेदारी दर्ज होनी चाहिये तथा वरवक्त अलाटमेन्ट व आज भी गैरसायल राधेश्याम 5 बीधा 10 बिस्वा पर काबिज काश्त करता चला आ रहा है। ख0न0 551/1337/0.31 है0 का सम्पूर्ण रकवा ख0न0 516/1137 मे से 0.30 है0 की खातेदारी होनी चाहिये इसलिये उक्त दोनो नम्बरो मे अपने नाम खातेदार घोषित कराने का अधिकारी है गैरसायल राधेश्याम की भूमि गत ट्रेस व वर्तमान ट्रेस मे स्पष्ट रूप से दशायी गई है। अतः जबाब प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा पेश करने निवेदन है कि सायलान का प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा खारिज किया जावे तथा सायलान को पाबन्द किया जावे कि भूमि ख0न0 551/1337/0.31 हे0 तथा ख0न0 516/1137 रकवा 0.30 है0 के संबध मे कब्जे काश्त मे बाधा पैदा नही करे।

उभयपक्ष वकील की बहस सुनी गई। सायल वकील ने प्रार्थना पत्र मे वर्णित तथ्यो का दोहरान करते हुये कथन किया ग्राम खिरखिडी की साबिक आराजी ख0न0 166/1/20 रकवा 4 बीधा सायलान की कब्जे खातेदारी की आराजी है जिसे साबिक नक्शा ट्रेस मे दर्शाया गया है। उक्त साबिक ख0न0 166/1/20 रकवा 4 बीधा नक्शा ट्रेस मे जिस स्थान पर दर्शाया है उस स्थान पर सेटलमेन्ट मे नवीन ख0न0 516/1137/0.43, 5[illegible]37/0.31 है0 दर्ज किया लेकिन सायलान की खातेदारी हाल जमाबन्दी मे 516/1137, 5[illegible]133[illegible] दर्ज कर दी लेकिन उक्त दोनो नम्बरो को साबिक ख0न0 204 मिन व 204/1 मिन से [illegible] गया जबकि दोनो ख0न0 साबिक ख0न0 166/1/20 से दर्शाना [illegible] ख0न0 551/1337 के स्थान पर 531/1337 दर्शारना चाहिये तथा मिलान क्षेत्रफ लमे भी उक्त [illegible]ी ख0न0 531/1337, 516/1137 को साबिक ख0न0 166/1/20 से दर्शाना चाहिये और सेटलमेन्ट द्वारा सायलान की 26 हे0 जमीन

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2025.09.25 16:36:11 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
टोडाभीम, जिला-करौली

कम कर सायलान के नाम 4 बीधा के स्थान पर मात्र 0.74 हे0 जमीन की खातेदारी दर्ज कर दी है।

यह है कि दौराने सेटलमेन्ट सायलान की साबिक ख0न0 166/1/20 की कब्जे कश्त की आराजी मे से गैरसायलान न0 1 के नाम ख0न0 531 रकवा 0.15 है0 तथा गैरसायलान न0 2 के नाम ख0न0 531/1214 रकवा 0.09 है0 जो गै0मु0स्कूल गलत रूप से दर्ज कर नवीन सीट मे उक्त दोनो नम्बरो की गलत तरमीम कर दी। जबकि उक्त दोनो नम्बर सायलान के कब्जे की भूमि है तथा साबिक सीट के मुताबिक भी साबिक ख0न0 166/1/20 रकवा 4 बीधा का भाग है तथा उक्त दोनो नम्बरो को मिलाने पर भी सायलान की करीब 0.02 हे0 भूमि रिकार्ड मे कम पडती है इसलिये सायलान ख0न0 531 रकवा 0.15 है0 तथा 531/1214/0.09 है0 की खातेदारी गैरसायलान न0 1 व 2 से हजफ कर अपने नाम खातेदारी कराने के हकदार है।

सायलान के पिता धनीराम का स्वर्गवास हो चुका है जिसके जायज कायम मुकाम वारिसान सायला है। जो मृतक धनीराम के तर्के पर काबिज है। सायलान का वर्णित आराजीयात ख0न0 516/1137/0.43, 551/1337, 531/1214, 531 पर आज भी मौके पर कब्जा काश्त चला आ रहा है और उक्त चारो नम्बरो से ही सायलान का पूरा रकवा बनता है जो साबिक सीट व नवीन सीट को मिलाने से भली भांति साबित है।

अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर गैरसायलान को ता दावा फैसला इस अम्र से पाबन्द फरमाया जावे कि वे वर्णित ग्राम खिरखिडी की आराजी ख0न0 531/0.15, 531/1214/0.09, 516/1137/0.43, 531/1337/0.31 है0 मे सायलान के कब्जे काश्त मे किसी प्रकार की मजाहमत मदाखलत नही करे रिकार्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखे।

गैरसायल न0 1 के वकील ने जबाब प्रार्थना पत्र मे वर्णित तथ्यो का दोहरान करते हुये कथन किया कि काउन्टर क्लेम जबाब इस प्रकार पेश किया कि साबिक ख0न0 166 मे रकवा 0.04 है0 धनीराम पुत्र रामहेत जाति बैरवा को सन 1976 मे अलाटमेन्ट हुआ था तथा 166 के बटा नम्बर 166/1/20 रकवा 4 बीधा तरमीम किया गया था, लेकिन धनीराम ने राजस्व अधिकारी कर्मचारी व पटवारी हल्का व गिरदावर से साज करके गत ख0न0 204 मे भूमि को बताकर गत ख0न0 204 मे तरमीम करवा दी गई है जबकि गत ख0न0 204 से उक्त धनीराम का कोई संबध किसी प्रकार का नही है व गत नक्शा ट्रेस मे धनीराम के नाम ख0न0 204 मते गलत तरमीम कर दी गई है। तथा हाल ख0न0 516/1137/0.43, 551/1337/0.31 है0 भी गलत दर्ज की है इस भूमि से सायलान का कोई संबध किसी प्रकार का नही है गैरसायल राधेश्याम को गत ख0न0 204 मे रकवा 5 बीधा 10 बिस्वा दिनांक 24.08.1976 को अलॉटमेन्ट हुई थी, लेकिन गैरसायल राधेश्याम को गत ख0न0 204 का बटा नम्बर डाल कर सिर्फ 3 बीधा भूमि मे खातेदारी दी है। शेष 2 बीधा 10 बिस्वा की खातेदारी नही दी है। जबकि 5 बीधा 10 बिस्वा की खातेदारी दर्ज होनी चाहिये तथा वरवक्त अलाटमेन्ट व आज भी गैरसायल राधेश्याम 5 बीधा 10 बिस्वा पर काबिज काश्त करता चला आ रहा है। ख0न0 551/1337/0.31 है0 का सम्पूर्ण रकवा ख0न0 516/1137 मे से 0.30 है0 की खातेदारी होनी चाहिये इसलिये उक्त दोनो नम्बरो मे अपने नाम खातेदार घोषित कराने का अधिकारी है गैरसायल राधेश्याम की भूमि गत ट्रेस व वर्तमान ट्रेस मे स्पष्ट रूप से दशायी गई है। अतः जबाब काउन्टर क्लेम पेश कर निवेदन है कि सायलान का प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा खारिज किया जावे तथा काउन्टर क्लेम स्वीकार कर सायलान को पाबन्द किया जावे कि भूमि ख0न0 551/1337/0.31 हे0 तथा ख0न0 516/1137 रकवा 0.30 है0 के संबध मे कब्जे काश्त मे बाधा पैदा नही करे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2025.09.25 16:36:11 IST
Reason: SelfAttested

उभयपक्षकारान वकील की बहस सुनन किया, पत्रावली मे शामिल दस्तावेजात का अवलोकन किया, पत्रावली मे उपलब्ध जमाबन्दी सम्वत 2038–41 मे साबिक ख0न0 166/1/20 तथा साबिक नक्शा ट्रेस ख0न0 166/1/20 सायलान के पिता धनीराम के नाम दर्ज रिकार्ड है। मिलान क्षेत्रफल अनुसार सायलान के नाम दर्ज ख0न0 516/1137/0.43, 551/1337/0.31 की खातेदारी दर्ज की है जबकि सायलान की खातेदारी साबिक रिकार्ड अनुसार 1.00 है0 की होनी चाहिये परन्तु सायलान का 0.26 है0 रकवा कम कर

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
टोडाभीम, जिला-करौली

दिया, मिलान क्षेत्रफ लमे सायलान की खातेदारी 516 / 1137 के स्थान पर 531 / 1337 को साबिक ख0न0 240 / 1 मिन से दर्शाया गया है, मिलान क्षेत्रफ लमे साबिक ख0न0 166 / 1 / 20 से किीस प्रकार मिलान क्षेत्रफल नही बनाया गया है, हमने साबिक ख0न0 166 / 1 / 20 के एवं 204 / 1 की साबिक नक्शा ट्रेस एवं नवीन ख0न0 516 / 1137, 551 / 1337 तथा 531 रकवा 0.15 है0 531 / 1214 की नवीन ट्रेस का मिलान किया गया तो ख0न0 516 / 1137 / 0.43, 551 / 1337 / 0.31 531 / 0.15, 531 / 1214 पर मिलता है तथा सेटलमेन्ट द्वारा ख0न0 531 / 0.15 है0 गैरसायल न0 1 राधेश्याम के नाम तथा ख0न0 531 / 1214 / 0.09 हे0 गैरसायल न0 2 राजकीय उच्च माध्यमिक विधालय खिरखिडी के नाम दर्ज कर दिया जबकि उक्त दोनो आराजी के साबिक रिकार्ड मे गैरसायलान न0 1 व 2 का नाम रिकार्ड मे दर्ज नही है, चुकि उक्त दोनो आराजी ख0न0 531, 531 / 1214 सायलान के साबिक ख0न0 166 / 1 / 20 वाले स्थान पर साबिक शीट से पूरी तरह साबित है चुकि सेटलमेन्ट कर्मचारियो द्वारा नवीन रिकार्ड तरमीम करते समय साबिक रिकार्ड से नवीन रिकार्ड तरमीम नही किया है नाही सायलान के साबिक ख0न0 166 / 1 / 20 का मिलान क्षेत्रफल तरमीम किया है इस प्रकार पत्रावली मे उपलब्ध सायलान व गैरसायलानो के दस्तावेजो का अवलोकन करने पर सायलान का प्राईमाफेसी केस बखुबी साबित है, जब सायलान का प्राईमाफेसी केस साबित होने से सुविधा का संतुलन एवं अपूर्तनीय क्षति भी सायलान के हक साबित होने से गैरसायलान का काउन्टर क्लेम खारिज किया जाकर सायलान का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है।

आदेश

अतः गैरसायलान को ता दावा फैसला जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि ग्राम खिरखिडी की आराजी ख0न0 516 / 1137 / 0.43, 551 / 1337 / 0.31, 531 / 0.15, 531 / 1214 / 0.09 है मे रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे।

निर्णय आज दिनांक 28.05.2025 को खुले न्यायालय मे लिखाया जाकर सुनाया गया।

(पूजा मीना)
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
टोडाभीम जिला करौली

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
टोडाभीम, जिला करौली

Signature Not Verified

Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2025.09.25 16:36:11 IST
Reason: SelfAttested